सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 318/17 **निर्णय दिनांकः 07.08.2019**

1. संदीप पुत्र सुभाष जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. सुभाष पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर
दिनांक 26–09–2017

उपस्थितः–

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 26–09–2017 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि वाके चक 9 बीएचडी क मुरब्बा नम्बर 28/8 के किला नम्बर 5, 6, 15 तादादी 2 बीघा 17 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 28/16 के किला नम्बर 1 ता 15, 17 ता 20 एवं 23 तादादी 20 बीधा 4 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 28/22 के किला नम्बर 8, 11 ता 14 तादादी 4 बीघा 18 बिस्वा कुल तादादी 30 बीघा 17 बिस्वा भूमि निहित है जिसमें से 26 बीघा 19 बिस्वा कमाण्ड व 3 बीघा 18 बिस्वा अनकमाण्ड स्थित है, उक्त कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 28/22 के किला नम्बर 17 ता 20 तादादी 3 बीघा 1 बिस्वा अपीलांट के नाम से खातेदारी दर्ज है शेष 27 बीघा 16 बिस्वा रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का कानूनन हक व हिस्सा निहित है। जिसमें बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये अपीलांट की पीठ पीछे पारिवारिक समझौते के विपरीत जाकर मुरब्बा नम्बर 28/24 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से कटाणी रास्ता होते हुए भी मुरब्बा नम्बर 28/16 के किला नम्बर 1 के उत्तरी कोणे से पूर्व से पश्चित की तरफ 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट/रेस्पोडेन्ट को पूर्व में रास्ता व सिंचाई की तमाम सुविधा उपलब्ध होते हुए भी बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 'ए' आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीए एवं सुखाधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फूलदेसर के चक 9 बीएचडी के मुरब्बा नम्बर 28/8 में 2.17 बीघा, मुरब्बा नम्बर 28/16 में 19.04 बीघा, मुरब्बा नम्बर 28/22 में 3. 18 बीघा, मुरब्बा नम्बर 28/24 में 4.18 बीघा कुल तादादी 30.17 बीघा भूमि खातेदारी भूमि है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 28/16 के किला नम्बर 1 में उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चित की तरफ से रास्ता कटवाना चाहता है तथा रास्ता कटवाने के बाद अपने पुत्र को हिस्सा देना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट व स्टेट के जवाब/बहस में स्पष्ट रूप से कथन

किया गया कि प्रार्थी चक 9 बीएचडी के मुरब्बा नम्बर 28/16 के किला नम्बर 1 में उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चित रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है तथा रास्ता कटाने के बाद अपने पुत्र के हिस्से में देना चाहता है। किला नम्बर 2 ता 5 में आने जाने के लिये कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजात्, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर मुरब्बा नम्बर 28/16 के किला नम्बर 1 में 2 बिस्वा रास्ते की मंजूरी प्रदान की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट/प्रार्थी अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अभिभाषक रेस्पेडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट सुभाष की खातेदारी भूमि है। जिसमें से मुरब्बा नम्बर 28/22 के तीन किला भूमि अपीलांट को विक्रय की है। उक्त भूमि मुरब्बा नम्बर 28/16 से काफी दूर है जिसका इस मुरब्बा से कोई संबंध नहीं है। अपीलांट अपने पिता सुभाष द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दरखावश्त में किये गये कथन कि ''किला नम्बर 1 में रास्ता कटाने के बाद अपने पुत्र को हिस्सा में देना चाहता है'' के आधार पर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में अपना हिस्सा बता रहा है। रेस्पोडेन्ट रिकार्डेड खातेदार है जबकि अपीलांट न तो सहखातेदार है तथा न ही प्रभावित पक्ष सहै। केवल रेस्पोडेन्ट क पुत्र होने के कारण विवादित भूमि पर अपना हक जता रहा है। कानून के मुताबिक जब तक अपीलांट द्वारा अपने हकों की धोषणा न करवा ली जावे पिता की सम्पति में अपना हक नहीं जता सकता तथा न ही न्यायिक कार्यवाही में बतौर खातेदार पक्षकार बन सकता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन होने तथा अपीलांट के प्रभावित पक्षकार न होने के कारण खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—09—2017 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर